

THE GOVERNMENT OF INDIA (SCHEDULED CASTES)  
ORDER, 1936.

AT THE COURT AT BUCKINGHAM PALACE,

The 30th day of April, 1936.

Present,

THE KING'S MOST EXCELLENT MAJESTY  
IN COUNCIL.

WHEREAS by certain provisions in the First, Fifth and Sixth Schedules to the Government of India Act, 1935, His Majesty in Council is empowered to specify the castes, races or tribes or parts of or groups within castes, races or tribes which are to be treated as the scheduled castes for the purposes of those Schedules :

AND WHEREAS a draft of this Order was laid before Parliament in accordance with the provisions of subsection (1) of section three hundred and nine of the said Act and an Address has been presented by both Houses of Parliament praying that an Order may be made in the terms of this Order :

NOW, THEREFORE, His Majesty, in the exercise of the said powers and of all other powers enabling Him in that behalf, is pleased by and with the advice of His Privy Council to order, and it is hereby ordered, as follows :—

1. This Order may be cited as "The Government of India (Scheduled Castes) Order, 1936."

2. Subject to the provisions of this Order, for the purposes of the First, Fifth and Sixth Schedules to the Government of India Act, 1935, the castes, races or tribes, or parts of or groups within castes, races or tribes specified in Parts I to IX of the Schedule to this Order shall, in the Provinces to which those Parts respectively relate, be deemed to be scheduled castes so far as regards members thereof resident in the localities specified in relation to them respectively in those Parts of that Schedule.

3. Notwithstanding anything in the last preceding paragraph—

(a) no Indian Christian shall be deemed to be a member of a scheduled caste ;

(b) in Bengal no person who professes Buddhism or a tribal religion shall be deemed to be a member of any scheduled caste ;

and if any question should arise as to whether any particular person does or does not profess Buddhism or a tribal religion, that question shall be determined according to the answers which he may make, in the prescribed manner, to such questions as may be prescribed.

4. In this Order the expression "Indian Christian" has the same meaning as it has for the purposes of Part I of the First Schedule to the Government of India Act, 1935, and the expression "prescribed" means prescribed by rules made by the Governor of Bengal, exercising his individual judgment.

5. Any reference in the Schedule to this Order to any division, district, subdivision, tahsil or municipality shall be construed as a reference to that division, district, subdivision, tahsil or municipality as existing on the first day of July, nineteen hundred and thirty-six.

## SCHEDULE.

## PART I.—MADRAS.

## (1) Scheduled castes throughout the Province :—

Adi-Andhra	Gosangi	Paidi
Adi-Dravida	Haddi	Painda
Adi-Karnataka	Hasla	Paky
Ajila	Holeya	Pallan
Arunthuthiyar	Jaggali	Pambada
Baira	Jambuvulu	Pamidi
Bakuda	Kalladi	Panchama
Bandi	Kanakkan	Paniyan
Bariki	Kodalo	Panniandi
Battada	Koosa	Paraiyan
Bavuri	Koraga	Paravan
Bellara	Kudumban	Pulayan
Byagari	Kuravan	Puthirai Vannan
Chachati	Madari	Raneyar
Chakkiliyan	Madiga	Relli
Chalayadi	Maila	Samagara
Chamar	Mala	Samban
Chandala	Mala Dasu	Sapari
Cheruman	Matangi	Semman
Dandasi	Moger	Thoti
Devendrakulathan	Muchi	Tiruvalluvar
Ghasi	Mundala	Valluvan
Godagali	Nalakcyava	Valmiki
Godari	Nayadi	Vettuvan
Godda	Pagadai	

(2) Scheduled castes throughout the Province except in any special constituency constituted under the Government of India Act, 1935, for the election of a representative of backward areas and backward tribes to the Legislative Assembly of the Province :—

Aranadan	Kattunayakan	Kuruman
Dombo	Kudiya	Malasar
Kadan	Kudubi	Mavilan
Karimpalan	Kurichchan	Pano

## PART II.—BOMBAY.

## Scheduled castes :—

## (1) Throughout the Province :—

Asodi	Dhor	Mang Garudi
Bakad	Garode	Meghval, or Menghwar
Bhanbi	Halleer	Mini Madig
Bhangi	Halsar, or Haslar, or	Mukri
Chakrawadya-Dasar	Hulsavar	Nadia
Chalvadi	Holaya	Shenva, or Shindhara
Chambhar, or Mochi-	Khalpa	Shingdav, or Shingadya
gar, or Samagar	Kolcha, or Kolgha	Sochi
Chena-Dasaru	Koli Dhor	Timali
Chuhar, or Chuhra	Lingader	Turi
Dakaleru	Madig, or Mang	Vankar
Dhed	Mahar	Vitholia
Dhugu-Megu		

(2) Throughout the Province except in the Ahmedabad, Kaira, Broach and Panch Mahals and Surat districts—Mochi.

(3) In the Kanara district—Kotegar.

## PART III.—BENGAL.

## Scheduled castes throughout the Province :—

Agariya	Bhatiya	Dhoba
Bagdi	Bhuimali	Doai
Bahelia	Bhuiya	Dom
Baiti	Bhumij	Dosadh
Bauri	Bind	Garo
Bodhiya	Binbia	Ghasi



Hajang	Konai	Namasudra
Halalkhor	Konwar	Nat
Hari	Kora	Nuniya
Ho	Kotal	Oraon
Jalia Kaibartta	Lalbegi	Paliya
Jhalo Malo, or Malo	Lodha	Pan
Kadar	Lohar	Pasi
Kan	Mahar	Patni
Kandh	Mahli	Pod
Kandra	Mal	Rabha
Kaora]	Mallah	Rajbanshi
Kapuria]	Malpahariya	Rajwar
Karenga	Mech	Santal
Kastha	Mehtor	Sonri
Kaur	Muchi	Tiyar
Khaira	Munda	Tvri
Khatik	Musahar	
Koch	Nagesia	

## PART IV.—UNITED PROVINCES.

Scheduled castes :—

(1) Throughout the Province :—

Agariya	Chainar	Kharot
Aheriya	Chero	Kharwar (except Benbansi)
Badi	Dabgar	Khatik
Badhik	Dhangar	Kol
Baheliya	Dhanuk (Bhangi)	Korwa
Bajaniya	Dharkar	Lalbegi
Bajgi	Dhobi	Majhwar
Balahar	Dom	Nat
Balmiki	Domar	Pankha
Banmanua	Charami	Parahiya
Bansphor	Ghasiya	Pasi
Barwar	Gual	Patari
Basor	Habura	Rawat
Bawariya	Hari	Saharya
Beldar	Hela	Sanaurhiya
Bengali	Kalabaz	Sansiya
Beriya	Kanjar	Shilpkar
Bhantu	Kapariya	Tharu
Bhuiya	Karwal	Turaiha
Bhuyiar	Khairaha	
Boriya		

(2) Throughout the Province except in the Agra, Meerut and Rohilkhand divisions—Kori.

## PART V.—PUNJAB.

Scheduled castes throughout the Province :—

Ad Dharmis	Marija, or Marecha	Khatik
Bawaria	Bangali	Kori
Chamar	Barar	Nat
Chuhra, or Balmiki	Bazigar	Pasi
Dagi and Koli	Bhanjra	Perna
Dumna	Chanal	Sapela
Od	Dhanak	Sirkiband
Sansi	Gagra	Meghs
Sarera	Gandhila	Ramdasis

## PART VI.—BIHAR.

Scheduled castes :—

(1) Throughout the Province :—

Chamar	Halalkhor	Mochi
Chaupal	Hari	Musahar
Dhobi	Kanjar	Nat
Dusadh	Kurariar	Pasi
Dom]	Lalbegi	

(2) In the Patna and Tirhut divisions and the Bhagalpur, Mong Palamau and Purnea districts :—

Bauri	Bhumij	Rajwar
Bhogta	Ghasi.	Turi

(3) In the Dhanbad subdivision of the Manbhum district and the Central Manbhum general rural constituency, and the Purulia and Raghunathpur municipalities :—

Bauri	Ghasi	Rajwar
Bhogta	Pan	Turi
Bhuiya		

## PART VII.—CENTRAL PROVINCES AND BEBAR.

*Scheduled Castes.**Localities.*

Baor, or Burud . . . . .	} Throughout the Province.
Chamar . . . . .	
Dom . . . . .	
Ganda . . . . .	
Mang . . . . .	
Meltar, or Bhangi . . . . .	
Mochi . . . . .	
Satnami . . . . .	
Audhelia . . . . .	In the Bilaspur district.
Bahna . . . . .	In the Amraoti district.
Balahi, or Balai . . . . .	In the Berar division and the Balaghat, Bhandara, Betul, Chanda, Chhindwara, Hoshangabad, Jubbulpore, Mandla, Nagpur, Nimar, Saugor and Wardha districts.
Bedar . . . . .	In the Akola, Amraoti and Buldana districts.
Chadar . . . . .	In the Bhandara and Saugor districts.
Chauhan . . . . .	In the Drug district.
Dahayat . . . . .	In the Damoh subdivision of the Saugor district.
Dewar . . . . .	In the Bilaspur, Drug and Raipur districts.
Dhanuk . . . . .	In the Saugor district, except in the Damoh subdivision thereof.
Dhimar . . . . .	In the Bhandara district.
Dhobi . . . . .	In the Bhandara, Bilaspur, Raipur and Saugor districts, and the Hoshangabad and Seoni-Malwa tahsils of the Hoshangabad district.
Dohor . . . . .	In the Berar division, and the Balaghat, Bhandara, Chanda, Nagpur and Wardha districts.
Ghasia . . . . .	In the Berar division and in the Balaghat, Bhandara, Bilaspur, Chanda, Drug, Nagpur, Raipur and Wardha districts.
Holiya . . . . .	In the Balaghat and Bhandara districts.
Jangam . . . . .	In the Bhandara district.
Kaikari . . . . .	In the Berar division, and in Bhandara, Chanda, Nagpur and Wardha districts.
Katia . . . . .	In the Berar division, in the Balaghat, Betul, Bhandara, Bilaspur, Chanda, Drug, Nagpur, Nimar, Raipur and Wardha districts, in the Hoshangabad and Seoni-Malwa tahsils of the Hoshangabad district, in the Chhindwara district, except in the Seoni subdivision thereof, and in the Saugor district, except in the Damoh subdivision thereof.
Khangar . . . . .	In the Bhandara, Buldana and Saugor districts and the Hoshangabad and Seoni-Malwa tahsils of the Hoshangabad district.
Khatik . . . . .	In the Berar division, in the Balaghat, Bhandara, Chanda, Nagpur and Wardha districts, in the Hoshangabad tahsil of the Hoshangabad district, in the Chhindwara district, except in the Seoni sub-



<i>Scheduled Castes.</i>	<i>Localities.</i>
Kori	In the Amraoti, Balaghat, Betul, Bhandara, Buldana, Chhindwara, Jabulpore, Mandla, Nimar, Raipur and Saugor districts, and in the Hoshangabad district, except in the Harda and Sohagpur tahsils thereof.
Kumhar	In the Bhandara and Saugor districts and the Hoshangabad and Seoni-Malwa tahsils of the Hoshangabad district.
Madgi	In the Berar division, and in the Balaghat, Bhandara, Chanda, Nagpur and Wardha districts.
Mala	In the Balaghat, Betul, Chhindwara, Hoshangabad, Jabulpore, Mandla, Nimar and Saugor districts.
Mehra, or Mahar	Throughout the Province, except in the Harda and Sohagpur tahsils of the Hoshangabad district.
Nagarchi	In the Balaghat, Bhandara, Chhindwara, Mandla, Nagpur and Raipur districts.
Ojha	In the Balaghat, Bhandara and Mandla districts and the Hoshangabad tahsil of the Hoshangabad district.
Panka	In the Berar division, in the Balaghat, Bhandara, Bilaspur, Chanda, Drug, Nagpur, Raipur, Saugor and Wardha districts and in the Chhindwara district, except in the Seoni subdivision thereof.
Pardhi	In the Narsinghpur subdivision of the Hoshangabad district.
Pradhan	In the Berar division, in the Bhandara, Chanda, Nagpur, Nimar, Raipur and Wardha districts and in the Chhindwara district, except in the Seoni subdivision thereof.
Rujjhar	In the Sohagpur tahsil of the Hoshangabad district.

## PART VIII.—ASSAM.

## Scheduled castes :—

## (1) In the Assam Valley :—

Namasudra	Hira	Mehtar, or Bhangi
Kaibartta	Lalbegi	Bansphor

## (2) In the Surma Valley :—

Mali, or Bhuimali	Sutradhar	Kaibartta, or Jaliya
Dhupi, or Dhobi	Muchi	Lalbegi
Dugla, or Dholi	Patni	Mehtar, or Bhangi
Jhalo and Malo	Namasudra	Bansphor
Mahara		

## PART IX.—ORISSA.

## Scheduled castes :—

## (1) Throughout the Province :—

Adi-Andhra	Godra	Mangan
Audhelia	Gokha	Mehra, or Mahar
Bariki	Haddi, or Hari	Mehtar, or Bhangi
Basor or Burud	Irika	Mochi, or Muchi
Bayuri	Jaggali	Paidi
Chachati	Kandra	Painda
Chamar	Katia	Pamidi
Chandala	Kela	Panchama
Dandasi	Kodalo	Panka
Dewar	Madari	Relli
Dhoba, or Dhobi	Madiga	Sapari
Ganda	Mahuria	Satnami
Ghusuria	Mala	Siyal
Godagali	Mang	Valamiki
Godari		

(2) Throughout the Province except in the Khondmals district, the ... of Sambalpur and the areas transferred to Orissa under the

(3) Throughout the Province except in the Khondmals district and the areas so transferred to Orissa from the said Agencies :—  
Dom, or Dombu.

(4) Throughout the Province except in the district of Sambalpur :  
Bauri  
Bluiya  
Bhumij  
Ghasi, or Ghasia  
Turi

(5) In the Nawapara subdivision of the district of Sambalpur :—  
Kori  
Nagarchi

Pradhau

C. K. RHODES,  
Joint Secy. to the Govt. of India.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०—(एन)०४/०००७/२००३—१४

REGISTERED NO. DL—(N)04/0007/2003—14



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II — खण्ड 1

PART II — Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० ४०] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर १८, २०१४/ अग्रहायण २७, १९३६ (शक)  
No. 40] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 18, 2014/AGRAHAYANA 27, 1936 (SAKA)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।  
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

New Delhi, the 18th December, 2014/Agrahayana 27, 1936 (Saka)

The following Act of Parliament received the assent of the President on the 17th December, 2014, and is hereby published for general information:—

THE CONSTITUTION (SCHEDULED CASTES) ORDERS  
(AMENDMENT) ACT, 2014

No. 34 OF 2014

[17th December, 2014.]

An Act further to amend the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950 and the Constitution (Sikkim) Scheduled Castes Order, 1978.



“46. Palluvan, Pulluvan”;

(ii) for entry 61, substitute,—

“61. Thandan (excluding Ezhuvass and Thiyyas who are known as Thandan, in the erstwhile Cochin and Malabar areas) and (Carpenters who are known as Thachan, in the erstwhile Cochin and Travancore State), Thachar (other than Carpenter)”;

(b) in PART IX.— *Madhya Pradesh*, for entry 18, substitute,—

“18. Dahait, Dahayat, Dahat, Dahiya”;

(c) in PART XIII.— *Orissa*,—

(i) for “Orissa”, substitute “Odisha”;

(ii) for entry 2, substitute,—

“2. Amant, Amat, Dandachhatra Majhi, Amata, Amath”;

(iii) for entry 13, substitute,—

“13. Bedia, Bejia, Bajia”;

(iv) for entry 41, substitute,—

“41. Jaggali, Jaggili, Jagli”;

(v) for entry 69, substitute,—

“69. Pan, Pano, Buna Pana, Desua Pana, Buna Pano”;

(d) in PART XVII.— *Tripura*,—

(i) for entry 4, substitute,—

“4. Chamar, Muchi, Chamar-Rohidas, Chamar-Ravidas”;

(ii) for entry 7, substitute,—

“7. Dhoba, Dhobi”;

(iii) for entry 12, substitute,—

“12. Jalia Kaibarta, Jhalo-Malo”.

3. In the Schedule to the Constitution (Sikkim) Scheduled Castes Order, 1978, entry 3 shall be omitted. C.O. 110.

Amendment of  
Constitution  
(Sikkim)  
Scheduled  
Castes Order,  
1978.

DR. SANJAY SINGH,  
*Secretary to the Govt. of India.*

**Subject:** Material for placing website of the Ministry- regarding.

1. Modalities for deciding claims for inclusion in, exclusion from and other modifications in the Orders specifying Scheduled Castes and Scheduled Tribes lists.
2. Presidential Orders specifying Scheduled Castes
  - (i). The Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950 (Original Notification No.C.O. 19, dated 10.08.1950.)
  - (ii). The Constitution (Union Territory) Scheduled Castes Order, 1951. (Original Notification No.C.O. 32, dated 20.09.1951.)
  - (iii). The Constitution (Jammu & Kashmir) Scheduled Castes Order, 1956. (Original Notification No.C.O. 52, dated 22.12.1956.)
  - (iv). The Constitution (Dadra & Nagar Haveli) Scheduled Castes Order, 1962. (Original Notification No.C.O.64, dated 30.06.1962.)
  - (v). The Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes Order, 1964. (Original Notification No.C.O.68, dated 05.03.1964.)
  - (vi). The Constitution (Sikkim) Scheduled Castes Order, 1978. (Original Notification No. C.O.110, dated 22.06.1978.)
3. Letter No. 35/1/72-R.U. (SCT-V) dated 02.05.1975 regarding Issue of Scheduled Caste and Scheduled Tribe certificates (English version).
4. Letter No. 12025/2/76-SCT-I dated 22.03.1977- Issue of Scheduled Caste and Scheduled Tribe certificates- clarification regarding (English version).
5. Letter No. 39/37/73-SCT-I dated 21.05.1977- Caste status of the offsprings of inter-caste married couple (English version).
6. Letter No. B.C. 12025/1/82-SC&BCD-IV dated 29.06.1982- Issue of Scheduled Caste and Scheduled Tribe certificates- Providing for punishments for officials issuing such certificates without proper verification( English version).
7. Letter No. 16014/1/82-SC&BCD-I dated 18.11.1982 - Issue of Scheduled Castes / Scheduled Tribes certificates to migrants from other States/ Union Territories (English version).
8. Letter No. 16014/1/82-SC&BCD-I dated 06.08.1984 - Issue of Scheduled Castes / Scheduled Tribes certificates to migrants from other States/ Union Territories (English version).
9. Letter No. 16014/1/82-SC&BCD-I- dated 22.02.1985- Issue of Scheduled Castes / Scheduled Tribes certificates to migrants from other States/ Union Territories (English version).
10. Letter No. 12025/44/80-SCD (R.L.Cell) dated 10.02.1982- Non-insertion of the words Harijan and Girijan in Scheduled Castes and Scheduled Tribes certificates (Hindi and English version)
11. Letter No. 12025/14/90-SCD( R.L.Cell) dated 16.08.1990 regarding avoidance of the terms like harijan and Girijan in respect of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in official matters, dealings etc. ( Hindi and English version)
12. Letter No. 12016/28/90-SCD (R.L.Cell) dated 20.11.1990 – Removal of bar on the Scheduled Caste converts to Buddhism from being deemed to be members of the Scheduled Castes (English version).
13. Criteria for inclusion of any community in the list of Scheduled Castes (Hindi and English version).



# संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950<sup>1</sup>

(सं० आ० 19)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति ने सम्पृक्त राज्यों के राज्यपालों और राजप्रमुखों से परामर्श करने के पश्चात् अपने प्रसाद से निम्नलिखित आदेश किया है, अर्थात् :—

1. यह आदेश संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 कहा जा सकेगा ।
2. इस आदेश के उपबंधों के अधीन यह है कि वे जातियां, मूलवंश या जनजातियां या जातियों या जनजातियों के भाग या उनमें के यूथ, जो कि इस आदेश की अनुसूची <sup>2</sup>[भाग 1 से लेकर भाग <sup>3</sup>[24]] तक में विनिर्दिष्ट है उन राज्यों के संबंध में, जिनसे वे भाग क्रमशः सम्बद्ध जहां हैं, वहां तक कि उनके उन सदस्यों का संबंध है जो उन पश्चिमी में निवासी हैं जो उस अनुसूची के उन भागों में उनके संबंध में विनिर्दिष्ट हैं, अनुसूचित जातियां समझे जाएंगे ।
- <sup>4</sup>[3. पैरा 2 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति जो हिन्दू <sup>5</sup>[, सिक्ख या बौद्ध] धर्म से भिन्न धर्म मानता है, अनुसूचित जाति का सदस्य न समझा जाएगा ।
- <sup>6</sup>[4. इस आदेश में किसी राज्य या उसके किसी जिले या अन्य प्रादेशिक खंड के प्रति निर्देश का अर्थ यह लगाया जाएगा कि वह 1 मई, 1956 को यथा गठित उस राज्य, जिले या अन्य प्रादेशिक खंड के प्रति निर्देश है ।]

<sup>1</sup> विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं० का०नि०आ० 385, तारीख 10 अगस्त, 1950, भारत का राजपत्र, असाधारण, 1950, भाग 2, खंड 3, पृष्ठ 109 में प्रकाशित ।

<sup>2</sup> अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां सूची (उपान्तरण) आदेश, 1956 द्वारा प्रतिस्थापित ।

<sup>3</sup> अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां अधिनियम सं० 18 की धारा 19 और पहली अनुसूची द्वारा (30-5-1957 से) तत्पश्चात् 2000 के अधिनियम सं० 28 की धारा 19/तीसरी अनुसूची द्वारा (1-11-2000 से) तथा 2000 के अधिनियम सं० 29 की धारा 24/पांचवीं अनुसूची द्वारा (9-11-2000 से) संशोधित रूप में आया ।

<sup>4</sup> अधिनियम सं० 63 की धारा 3 और प्रथम अनुसूची द्वारा पैरा 3 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

<sup>5</sup> अधिनियम सं० 75 की धारा 2 द्वारा "या सिक्ख" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

<sup>6</sup> अधिनियम सं० 109 की धारा 3 और प्रथम अनुसूची द्वारा (27-7-1977) से पैरा 4 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[अनुसूची

भाग 1—आन्ध्र प्रदेश

1. आदि आन्ध्र
2. आदि द्रविड
3. अनामुक
4. आरे माल
5. अरुंधतिय
6. अरब माल
7. बारिकी
8. बावुरी
- <sup>2</sup>[9. बेड (बुडम) जंगम (हेदराबाद, रंगारेड्डी, महबूबनगर, आदिलाबाद, निजामाबाद, मेडक करीमनगर, वारंगल, खम्माम और नालगोंडा जिलों में)]
10. बिंङल
- <sup>2</sup>[11. बैगारा, बैगारी]
12. चचाटि
13. चलवादि
- <sup>2</sup>[14. चमार, मोची, मुचि, चमार-रविदास, चमार-रोहिदास]
15. चम्भार
16. चंडाल
17. डक्कल, डौक्कलवार
18. डंडासि
19. ढोर
20. डोम, डोम्बार, पैडी, पनो
21. एल्लमलवार, येल्लमालवाण्डलु
22. घासी, हड्डी, रेल्लि, चचन्डि
- <sup>2</sup>[23. गोडागल्ली, गोडागुला (श्रीकाकुलम, विजयनगरम और विशाखापटनम जिलों में)]
24. गोडारी
25. गोसंगी
26. होलया
27. होलया दासरि
28. जग्गलि
29. जाम्बुबुलु
- <sup>2</sup>[30. कोलुपुलुवाण्डलु, पम्बांडा, पम्बाला]
31. मदासि कुरुवा, मदारि कुरुवा
32. मादिगा
33. मादिगा दासु, नाटीन
34. महार
- <sup>2</sup>[35. माला, माला आयावारु]
36. माला दासरि
37. माला दासु
38. माला दन्नाड
39. माला जंगम
40. माल मरिस्ति
41. माला साले, नेट्कानि
42. माल्ल सन्यासी
43. मांग
44. मांग गारोडी
45. मन्न
46. मष्टि
47. मातंगि
48. मेहतर
49. मिताअय्यलवार
50. मुडला
51. पाकि, मोटि, तोटि
- <sup>3</sup>[52. \*\*\*\*]
53. पामिडी
54. पंचम, पेरिया
55. रेल्लि
56. सामगार
57. सम्बन
58. सप्पु
59. सिधोल्लु, चिदोल्लु
- <sup>4</sup>[60. याताला
61. वल्लुवन । ]

भाग 2—आसाम

1. बांस फर
2. मुईमाली, माली
3. वृत्तियाल बनिया, बनिया
4. घुपी, घोबी
5. डुगला, ढोली
6. हिरा
7. जालकेवट
8. झालो, मालो, झालो-मालो
9. कैबर्त, जालिया
10. लालबेगी
11. माहरा
12. मेहतर, भंगी
13. मुचि, ऋषि
14. नामशुद्र
15. पटनी
16. सूत्रधार

<sup>1</sup> 1976 के अधिनियम सं० 108 की धारा 3 और प्रथम अनुसूची द्वारा (27-7-1977 से) पूर्ववर्ती अनुसूची के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

<sup>2</sup> 2002 के अधिनियम सं. 61 की धारा 2 और अनुसूची 1 द्वारा प्रतिस्थापित ।

<sup>3</sup> 2002 के अधिनियम सं. 61 की धारा 2 और अनुसूची 1 द्वारा लोप किया गया ।

<sup>4</sup> 2002 के अधिनियम सं. 61 की धारा 2 और अनुसूची 1 द्वारा अंतःस्थापित ।



भाग 3—बिहार

- |  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| 1. बांतर   | 12. घासी                             |
| 2. बाउरी   | 13. हलालखोर                          |
| 3. भोगतत   | 14. हाडी, मेहतर, भंगी                |
| 4. भुइया   | 15. कंजर                             |
| 5. भूमिज <sup>1</sup> [* * * *]  | 16. कुरारियार                        |
| <sup>2</sup> [6. चमार, मोची, चमार-रविदास, चमार रविदास,<br>चमार-रोहिदास, चर्मकार] | 17. लालबेगी                          |
| 7. चौपाल   | 18. मुसाहर                           |
| 8. दबगर  | 19. नट                               |
| <sup>2</sup> [9. धोबी, रजक   | <sup>2</sup> [20. पान, स्वासी, पानर] |
| <sup>2</sup> [10. डोम, धनगड, बांसफोड, धारीकर, धरकार, डोमरा]                      | 21. पासी                             |
| 11. दुसाध, धारी, धरही  | 22. रजवार                            |
|  | 23. तूरी ।                           |

भाग 4—गुजरात

- |   |  |
|---|--|
| 1. अगेर   | 13. हलसार, हसलार, हुलस्वार, हलस्वार  |
| 2. बाकड़, बण्ट  | 14. होंतार, वल्हार   |
| 3. बावा-डेढ, डेढ-साधु   | 15. होलेय होलेर  |
| <sup>2</sup> [4. भाम्बी, भाम्भी, असादरु, असोदी, चमाडिया चमार,<br>चमार-रविदास, चांभार, चमगार, हरलय्या, हरली, खालपा,<br>मधिगार, मोचीगार, मादर, मादिग, मोची (केवल डांगस<br>जिला और वलसाद जिले के उमरगांव तालुक में), नालिया,<br>तेलगु, मोची, कमाटी मोची, राणीगार, रोहिदास,<br>रोहित, सामगार] | 16. तिगाधार  |
| <sup>2</sup> [5. भंगी, महतर, ओल्गना, रुखी, मलकाना, हलालखोर,<br>लालबेगी, बाल्मीकि, कोरार, झाडमल्ली, बारवाशिया,<br>बारवासिया, जाम्फोड़ा, जम्पाड़ा, जम्पड़ा, रूशी, वाल्मीकि]   | 17. महार, तरल, धेगू, मेगू  |
| 6. चलवादि चन्नय्य   | 18. महायाबंशी, धेढ, धेग वणकर, मरु वणकर, अन्मज  |
| 7. चेन्ना दासर, होलेय दासर  | 19. मांग, मातंग मिणिमादिग  |
| 8. डंगशिया  | 20. मांग-गारुडी  |
| 9. डोर, कक्कया, कंकय्या   | 21. मेघवल, मेघवाल, मेघवार  |
| 10. गरमातंग   | 22. मुक्री   |
| 11. गरोड़ा, गरो   | 23. नाडिया, हाडी   |
| 12. हल्लीर  | 24. पासी   |
|   | 25. सेनवा, शेनवा, चैनवा, सेडमा, रावत   |
|   | 26. शेमलिया  |
|   | 27. थोरी   |
|   | 28. तीरशार, तीरबन्द  |
|   | 29. तूरी   |
|   | 30. तूरी बरोत, डेढ बरोत।   |
|   | <sup>3</sup> [31. बलाही, बलाई  |
|   | 32. भंगी, मेहतर  |
|   | 33. चमार   |
|   | 34. चिकवा, चिकवी   |
|   | 35. कोली, कोरी   |
|   | 36. कोटवाल (भिड, धार, देवास, गुना, ग्वालियर, इन्दौर,<br>झाबुआ, खरगोन, मन्दसौर, मुरैना, राजगढ़, रतलाम,<br>शाजापुर, शिवपुरी, उज्जैन और विदिशा जिलों में) ] |

ior,

<sup>1</sup> 2000 के अधिनियम सं० ११ की धारा 23/पांचवीं अनुसूची द्वारा (15-11-2000 से) कुछ शब्दों का लोप किया गया ।

<sup>2</sup> 2002 के अधिनियम सं० 61 की धारा 2 और अनुसूची 1 द्वारा प्रविष्टि 4 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

<sup>3</sup> 2002 के अधिनियम सं० 32 की धारा 2 द्वारा अंतःस्थापित ।

भाग 3 -- हरियाणा

- |   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| 1. आद धर्मी   | 19. कबीरपंथी, जुलाहा                |
| 2. बाल्मीकी, चूहडा, भंगी  | 20. खटीक                            |
| 3. बंगाली   | 21. कोरी, कोली                      |
| 4. बराड़, बुराड़, बेराड़  | 22. मरीजा, मरेचा                    |
| <sup>1</sup> [5. बटवाल, बरवाला]   | <sup>2</sup> [23. मजहबी, मजहबी सिख] |
| 6. बोरिया, बावरिया  | <sup>1</sup> [24. मेघ, मेघवाल]      |
| 7. बाजीगर   | <sup>2</sup> [25. नट, बादी]         |
| 8. भंजड़ा   | 26. ओड़                             |
| <sup>2</sup> [9. चमार, जटिया चमार, रेहगड़, रैगड़, रामदासी, रविदासी,<br>बलाही, बटोही, भटोही, भाबी, चमार-रोहिदास, जाटव, जटवा,<br>मोची, रामदासिया] | 27. पासी                            |
| 10. चनाल  | 28. पेरना                           |
| 11. डागी  | 29. फरेरा                           |
| 12. डरेन  | 30. सनहाय                           |
| 13. डेहा, दैया, दय्या, डैया   | 31. सनहाल                           |
| 14. धानक  | 32. सांसी, भेडकूट, मनेश             |
| 15. ढोगरी, ढांगरी, सिग्गी   | 33. संसोई                           |
| 16. डूमना, महाशय, डूम   | <sup>2</sup> [34. सपेला, सपेरा]     |
| 17. गगड़ा   | 35. सरेंडा                          |
| 18. गंठीला, गंठील, गोन्डोला   | <sup>2</sup> [36. सिकलीगर, बारिया]  |
|   | 37. सिरकीबन्द                       |

भाग 6—हिमाचल प्रदेश

- |   |  |
|---|--|
| 1. आद धर्मी   | 30. जोगी                                       |
| 2. बांड़ी, नगालू  | 31. जुलाहा, जुलाई, कबीरपंथी, कीर               |
| 3. बाल्मीकी, भंगी, चूहडा, चूड़ा, चूहडे                                    | 32. कमोह, डंगोली                               |
| 4. बांधेला  | 33. करोक                                       |
| 5. बंगाली   | 34. खटीक                                       |
| 6. बंजारा   | 35. कोरी, कोली                                 |
| 7. बांसी  | 36. लोहार                                      |
| 8. बरड़   | 37. मरीजा, मरेचा                               |
| 9. बराड़, बुराड़, बेराड़  | 38. मजहबी                                      |
| 10. बटवाल   | 39. मेघ  |
| 11. बोरिया, बावरिया   | 40. नट   |
| 12. बाजीगर  | 41. ओड़  |
| 13. भंजड़ा, भंजड़े  | 42. पासी                                       |
| 14. चमार, जटिया चमार, रेहगड़, रैगड़, रामदासी, रविदासी, रामदासिया,<br>मोची | 43. पेरना                                      |
| 15. चनाल  | 44. फेडा, फेरेडा                               |
| 16. छिम्बे, धोबी  | 45. रेहाड़, रेहाड़ा                            |
| 17. दागी  | 46. सनहाई                                      |
| 18. दडे   | 47. सनहाल                                      |
| 19. दर्राई, दरयाई   | 48. सांसी, भेडकूट, मनेश                        |
| 20. दाउले, दावलद  | 49. संसोई                                      |
| 21. दाकी, तूरी  | 50. सपेला                                      |
| 22. धानक  | 51. सरेंडे, सरेंडा, सराड़े, सिरयाड़े, सरेंहड़े |
| 23. धाओगरी, धुआई  | 52. सिकलीगर                                    |
| 24. धोगरी, धांगरी, सिग्गी   | 53. सिपी                                       |
| 25. डूम, डूमना, डुमने, महाशा  | 54. सिरकीबन्द                                  |
| 26. गगड़ा   | 55. तेली                                       |
| 27. गंठीला, गंठील, गोन्डोला   | 56. ठठियार, ठठेरा                              |
| 28. हाली  | <sup>3</sup> [57. बारवाला] ।                   |
| 29. हेसी  |  |

<sup>1</sup> 2007 के अधिनियम सं० 31 की धारा 2 द्वारा (29-8-2007 से) प्रतिस्थापित ।

<sup>2</sup> 2002 के अधिनियम सं० 61 की धारा 2 और अनुसूची 1 द्वारा प्रतिस्थापित ।

<sup>3</sup> 2002 के अधिनियम सं० 61 की धारा 2 और अनुसूची 1 द्वारा प्रतिस्थापित ।



<sup>1</sup>[भाग 6क - झारखंड

1. बांतर
2. बावरी
3. भोगता
4. भुइया
5. चमार, मोची
6. चौपाल
7. डबाजार
8. धोबी
9. डोम, धनगद
10. दुसाध, धारी, धरही
11. धासी
12. हलालखोर
13. हेयर, मेहतर, भंगी
14. कंजर
15. कुरियार
16. लालबेगी
17. मुसहर
18. नट
19. पान, स्वासी
20. पासी
21. रजवार
22. तुरी !]

1. 2000 के अधिनियम सं. 30 की धारा 23 और संघर्ष अनुसूची द्वारा (15-11-2000 से) अंतःस्थापित ।

भाग 7—कर्नाटक

1. आदि अन्न
2. आदि द्रविड़
3. आदि कर्नाटक
4. आदीय (कुर्ग जिले में)
5. आगेर
6. आजिला
7. अनामुक
8. आर्यमाला
9. अरुथथियार
10. आर्वमाला
11. बैरा
12. बाकड़
13. बंट (बेलगाव, बीजापुर, धारवाड़ और उत्तरी कनारा जिलों में)
14. बकुड़ा
15. बालगाई
16. बंडी
17. बंजारा, लंबाणी, लम्बाडा, लम्बाडी, लमानी, सुगली, सुकली ]
18. बथड़ा
19. वेड़, जंगम, बुडग जंगम
20. बेल्लारा
21. भंगी, मेहतर, ओलगाना, रुखी, मलकाना हलालखोर, लालबेगी, बाल्मीकि, कोरार, झाडमाली
22. भंवी, भंभी, असादरू, आसोदी, चमडिया, चमार, चम्भार, चामगार, हरलया, हरली, खलपा, मचिगार, मोचिगार, मादार, मादिग, मोची, मुची, तेलगुमोची, कामटि मोची, राणीगार, रोहिदास, रोहित, सामगार
23. भोवी, ओड, ओड्डे, वडंडार, वड्डर, वोड्डार, वोड्डर ]
24. विंडल
25. ब्यागरा
26. चक्किलियान
27. चलावादी, चलवादी, चनैया
28. चांडाल
29. चन्नादासर, होलयादासर
30. दक्कल, दक्कलवार
31. दक्कलिंगा
32. डोर, कक्कय्या, कक्कय्या
33. डोम, डोम्बर, पडी, घानो
34. एल्लेमलवार, वेल्लम्मलवाण्डलु
35. गंटीचोर
36. गारोड, गरी,
37. गोडडा
38. गोसंगी
39. हल्लीर
40. हलसार, हसलार, हुलस्वार, हुलस्व
41. हंदी जोगी
42. हस्ला
43. हीलार, बलहार
44. होल्लय, होलेर, होलेय
45. होलेयदासरी
46. जगली
47. जम्बुदुल
48. कडैयन
49. कल्लादि
50. केपमारिस
51. कोलुपुलवाण्डलु
52. कूसा:
53. कोरवा, कोरवर
54. कोरमा, कोरवा, कोरवार ]
55. कोटंगार, मैत्री
56. कुडुम्बन
57. कुरवान्ट
58. लिंगाडेर
59. मचला
60. मदासी
61. मादिग
62. महार, तराल, धेगु, धेगु
63. माहयावंशी, धेड़, बणकर मारुबणकर
64. मैला
65. माल
66. मालदासरी
67. माल हन्नई
68. मालजंगम
69. मालमस्ती
70. मालसाले, नेतकानि
71. माल सन्यासी
72. मांग मातंग, मिनिमादिग
73. मांग गारुडी, मांग गारोडी
74. मन्ने
75. मश्ती
76. माविलन
77. मेघवाल, मेंघवार
78. मोगेर
79. मुक्की
80. मुंडल



81. नाडिया, हाडी
82. नलकडय
83. नलकेयव
84. नायाडि
85. पाले
86. पल्लन्
87. पम्बाडा
88. पंचम
89. पन्नियाडि
90. परड्यान, परथ्या
91. परवन

92. राणीयार
93. सामंगार
94. सम्बन
95. सपरी
96. सिल्लेकियथस
97. सिघोलू, चिंदोलू
98. सुडुगाडुसिद्ध
99. तोटि
100. तीरगार, तीरबंद
101. वल्लुवन।

भाग 8—केरल

1. 1. आदि आंग्र
2. आदि द्रविड
3. आदि कर्नाटक
4. आजिला
5. अरुन्थथियार
6. अय्यमवर
7. बैरा
8. बकुडा
- <sup>1</sup>[9. \* \* \* ]
10. बथडा
- <sup>1</sup>[11. \* \* \* ]
- <sup>2</sup>[12. भरथर (परथर से भिन्न), परवन]
- <sup>1</sup>[13. \* \* \* ]
14. चकिलियान
15. चमार, मुची
16. चांडाल
17. चेरुमन
18. डोम्बन
- <sup>1</sup>[19. \* \* \* ]
- <sup>1</sup>[20. \* \* \* ]
- <sup>1</sup>[21. \* \* \* ]
22. गोसंगी
23. हस्ता
24. होलेय
25. कडैयन
- <sup>2</sup>[26. कक्कलन, कक्कन]
27. कल्लाडी
- <sup>2</sup>[28. कणक्कन, पदन्न, पदन्नन ]
- <sup>1</sup>[29. \* \* \* ]
- <sup>2</sup>[30. कवर, (तेलुगु या तमिल भाषी बलिजा, कवरई, गावर, गावरई, गवरई नायडूबलिजा नायडू, गजालू, बलिजा या वलई चेट्टी से भिन्न)]

31. कूसा
32. कुटन, कुडन
33. कुडुम्बन
- <sup>2</sup>[34. कुरवन, सिद्धनार, कुरवार, कुरवा, सिधना ]
35. मैला
36. मंलयन [राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 (1956 का, 37) की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा यथा विनिर्दिष्ट मालाबार जिले में समाविष्ट क्षेत्रों में]
- <sup>2</sup>[37. मण्णन, पथियन, परेरुमण्णन, वण्णन, वेलन ]
- <sup>3</sup>[38. \* \* \* ]
- <sup>2</sup>[39. प्रोगेर, (मोगेयार से भिन्न)]
40. मुण्डाला
41. नलकेयव
42. नलकाडय
43. नायाडी
- <sup>1</sup>[44. \* \* \* ]
45. पल्लन
46. पल्लुवन
47. पाम्बाडा
48. पाणन
- <sup>2</sup>[49. \* \* \* ]
- <sup>1</sup>[50. परैयन, परयन, साम्बवर, साम्बदन, साम्बावा, परया, परैया, परयार]
- <sup>1</sup>[51. \* \* \* ]
52. \* \* \*
53. \* \* \*
- <sup>2</sup>[54. पुलयन, चेरमर, पुलया, पुलयार, चेरमा, चेरमान, वयनाद, पुलयान, वयनंदन, पुलयान, माथा, माथा पुलयान]
- <sup>1</sup>55. \* \* \*
56. पुत्तिरई वण्णन
57. राणीयार
58. सामंगार

<sup>1</sup> 2002 के अधिनियम सं. 61 की धारा 2 और अनुसूची 1 द्वारा लोप किया गया।

<sup>2</sup> 2002 के अधिनियम सं. 61 की धारा 2 और अनुसूची 1 द्वारा प्रविष्टि 12 के स्थान पर प्रतिस्थापित।

<sup>3</sup> 2003 के अधिनियम सं. 10 की धारा 3 और अनुसूची 1 द्वारा लोप किया गया।

59. सम्बन्ध

<sup>1</sup>[60. सोमन, चम्पन, चम्पर ]

<sup>2</sup>[61. तण्डान (उन ईयुवास और तियास को छोड़कर जो तत्कालीन कोचीन और मालावार क्षेत्रों में तण्डान के नाम से ज्ञात हैं) और (बढ़ई जो तत्कालीन कोचीन और द्रावणकोर राज्य में तत्त्वन् के नाम से ज्ञात हैं)]

62. थोटि

63. वल्लोन

64. वल्लुवन

<sup>3</sup>[ 65. \* \* \*

66. \* \* \* ]

67. वेटन

<sup>4</sup>[68. वेट्टुवन, पुलया वेट्टुवन (केवल पूर्व कोचीन राज्य के क्षेत्रों में)

69. नेरियन । ]

#### भाग 9—मध्य प्रदेश

1. औधलिया

<sup>2</sup>[2. बागरी, बागड़ी, (बागरी, बागड़ी में राजपूत, ठाकुर उपजातियों को छोड़कर)]

3. बहना, बाहना

4. बलाही, बलाई

5. बांछड़ा

6. बरहर, बसोड़

7. वरगूडा

8. बसोर, बुरुड़, बांसोर, बांसोड़ी, बांसफोड़, ब्रसार

9. बेड़िया

10. बेलदार, सुनकर

11. भंगी, मेहतर, बालमीक, लालबेगी, धरवार

12. भानुमति

13. चडार

14. चमार, चमारी, बेरवा, भांवी, जाटव, मोची, रैगड़, नोना, रोहिदास, रामनामी, संतनामी, सूर्यवंशी, सूर्य-रामनामी, अहिरवार, चमार मंगन, रैदास

15. चिदार

16. चिकवा, चिकवी

17. चित्तार

18. दहाइत, दहायत, दहात

19. देवर

20. धानुक

21. घेड़, घेड़

22. घोबी (भोपाल, रायसेन और सिहोर जिलों में)

23. डोहोर

24. डोम, डुमार, डोमे, डोमर, डोरिस

25. गांडा, गांडी

26. घासी, घसिया

27. होलिया

28. कंजर

29. कातिया, पथरिया

30. खटीक

31. कोली, कोरी

32. कोतवाल (भिंड, धार, देवास, गुना, ग्वालियर, इंदौर, झाबुआ, खरगोन, मंदसौर, मुरैना, राजगढ़, रतलाम, शाजापुर, शिवपुरी, उज्जैन और विदिशा जिलों में)

33. खांगर, कनेरा, मिर्धा

34. कुचवंधिया

कुम्हार, (छतरपुर, दतिया, पन्ना, रीवा, सतना, शहडोल, सीधी और टिकमगढ़ जिलों में)

<sup>1</sup>[ 36. महार, मेहरा, मेहर, महरा ]

37. मांग, मांग गरोड़ी, मांग गारुड़ी, दंखनी मांग, मांग महाशी, मदारी, गारुड़ी, राधे मांग

38. मेघवाल

39. मोधिया

40. मुसखान

41. नट, कालबेलिया, सपेरा, नबदिगार, कुबुतर

42. पारधी (भिंड, धार, देवास, गुना, ग्वालियर, इंदौर, झाबुआ, खरगोन, मंदसौर, मुरैना, राजगढ़, रतलाम, शाजापुर, शिवपुरी, उज्जैन और विदिशा जिलों में)

43. फासी

44. रुज्झर

45. सांसी, सांसिया

46. सिलावट

47. झमराल

<sup>4</sup>[48. सरगासा । ]

#### भाग 10—महाराष्ट्र

1. अमेर

2. अनामुक

3. आरवा माला

4. आखामाला

5. बहना, बाहना

6. बाकड़, बंट

7. बलाही, बलाई

<sup>2</sup>[8. बसोर, बुरुड़, बांसोर, बांसोड़ी, बासोड़]

9. बेडा जंगम, बुडगा जंगम

10. बेडर

<sup>2</sup>[11. भांभी, भंभी, असादरू, असोदी, चमाडिया, चमार, चमारी, चंभार, चामगार, हरलया, हरली, खलपा, मचीगार, मोचीगार, मादर, मादिग, मोची, तेलगु मोची, कामाटी मोची, राणीगार, रोहिदास, नोना, रामनामी, रोहित, समगर, सामगार, सतनामी, सूर्यवंशी, सूर्य रामनामी, चर्मकार, परदेशी चमार ;

12. भंगी, मेहतर, ओलगना, रूखी, मलकाना, हलालखोर, लालबेगी, बाल्मिकी, कोशंर, झाड माली, हेला]

<sup>1</sup> 2002 के अधिनियम सं 61 की धारा 2 और अनुसूची 1 द्वारा प्रविष्टि 60 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

<sup>2</sup> 2007 के अधिनियम सं 31 की धारा 2 द्वारा (29-8-2007 से) प्रतिस्थापित ।

<sup>3</sup> 2002 के अधिनियम सं 61 की धारा 2 और अनुसूची 1 द्वारा लोप किया गया ।

<sup>4</sup> 2002 के अधिनियम सं 61 की धारा 2 और अनुसूची 1 द्वारा अंतःस्थापित ।



- |   |  |
|---|--|
| 13. बिदला   | 35. मादगी  |
| 14. ब्यागरा   | 36. मादिगा   |
| 15. चलवादि, चन्नैया   | 37. मार, मेहरा, तराल, धेगु, मेगु   |
| 16. चेन्नादासर, होलाय दासर, होलय दासरी  | 38. माहयावंशी, घेड, वणकर, मारुवणकर   |
| 17. डक्कल, डोक्कलबार  | 39. माला   |
| 18. डोर, कक्कय्या, कन्कय्या, डोहोर  | 40. मालादासरी  |
| 19. डोप, डुमार  | 41. माल हैन्नै   |
| 20. एल्लमलवार, येल्लम्मलावाण्डलु  | 42. माला जंगम  |
| 21. गदा, गंदी   | 43. माला मस्ती   |
| 22. गरोडा, गरो  | 44. मालसाले, नैतकानि   |
| 23. घासी, घसिया   | 45. माला सन्यासी   |
| 24. हल्लीर  | 46. मांग, मातंग, मिनिमादिग, दंखंगी मांग, मांग-महाशी, मदारी गारुडी, राघे मांग |
| 25. हलसार, हसलार, हुल्स्वार, हलस्वार  | 47. मांग गारोडी, मांग गारुडी   |
| 26. होलार, वलहार  | 48. मन्न   |
| 27. होलया, होलेर, होलेया होलिया   | 49. मस्ती  |
| 28. कैंकाडी (अकोला, अमरावती, भंडारा, बुलढाना, नागपुर, वर्धा और यवतमाल जिलों में और राजुरा तहसील को छोड़कर चन्द्रपुर जिले में) | 50. मेघवाल, मेंघवार  |
| 29. कटीया, पठारिया  | 51. मिठा, अय्यलवार   |
| 30. खंगार, कनेरा, मिरघा   | 52. मुक्की   |
| 31. खाटीक, चिकुवा, चिकवी  | 53. नाडीया, हाडी   |
| 32. कोलुपुलवाण्डलु  | 54. पासी   |
| 33. कोरी  | 55. सांसी  |
| 34. लिंगादार  | 56. शेनवा, चेनवा, सेडमा, रावत  |
|   | 57. सिंधौल, चिंदौल   |
|   | 58. तीरगार, तीरबंद   |
|   | 59. तुरी ।   |

भाग 11--मणिपुर

- |                 |             |
|-----------------|-------------|
| 1. धुपी, धोबी   | 5. पाटनी    |
| 2. लईज          | 6. सूत्रधार |
| 3. मुची, रविदास | 7. येथिबि । |
| 4. नामशुद्र     |             |

भाग 12--मेघालय

- |                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| 1. बांसफोड               | 9. कैबर्त, जालिया |
| 2. भुईमाली, माली         | 10. लालबेगी       |
| 3. बत्तियाल बनिया, धनिया | 11. महरा          |
| 4. धुपी, धोबी            | 12. मेहतर, भंगी   |
| 5. डुगला, डोली           | 13. मुची, ऋषि     |
| 6. हीरा                  | 14. नामशुद्र      |
| 7. जलकेवट                | 15. पाटनी         |
| 8. झालो, मालो, झालो-मालो | 16. सूत्रधार ।    |

भाग 13--उड़ीसा

- |   |   |
|---|---|
| 1. आदि आग्र   | 48. कोरी  |
| <sup>1</sup> [2. अमान्त, अमात, दंडछत्र माझी                                       | 49. कुम्हारी  |
| 3. औधेलिया  | 50. कुरुंगा   |
| 4. बडैक   | 51. लवाण  |
| 5. बाघेटी, बाघुटी   | 52. लाहेरी  |
| 6. बाजीकर   | 53. मदारी   |
| 7. बारी   | 54. मादिग   |
| 8. बारीकी   | 55. महूरिया   |
| 9. बासोर, बुरूड   | <sup>1</sup> [56. माला, झाला, मालो, जाला, मल्हा, झोला ] |
| <sup>1</sup> [10. बाउरी, बुना बाउरी, डसिया बाउरी]                                 | 57. मांग  |
| 11. बाउटी   | 58. मांगण   |
| 12. बाबुरी  | 59. मेहरा, महार   |
| 13. बेढिया, बेजिया  | 60. मेहतर, भंगी   |
| 14. बेलदार  | 61. मेवार   |
| 15. भाट   | 62. मूडपोट्टा   |
| 16. भोई   | 63. मूसहर   |
| 17. चघटी  | 64. नगारची  |
| 18. चकली  | 65. नामशूद्र  |
| <sup>2</sup> [19. चमार, चमारा, चमार-रविदास, चमार-रोहिदास, भोंची,<br>मुची, सतनाभी] | 66. पैडली   |
| 20. चांडाल  | 67. पैण्डा  |
| 21. चंढाई मारु  | 68. पामीडी  |
| <sup>3</sup> 22. * * *  | <sup>1</sup> [69. पाण, पाणों, बुना पाण, देसुआ पाण ]     |
| 23. दंडासी  | 70. पंचम  |
| <sup>1</sup> [24. देवर, दीबरा, डौउटा, कौबरता ]                                    | 71. पणिका   |
| 25. धनवार   | 72. पंका  |
| 26. धोबा, धोबी  | 73. पाणतंति   |
| 27. डोम, डोम्बो, डुरिया, डोम  | 74. पाप   |
| 28. दोसधा   | 75. पासी  |
| 29. गंडा  | 76. पटिआल, पाटीकर, पात्रतन्ति, पटुआ                     |
| 30. घंटरघड़ा, घंटेरा  | 77. रजना  |
| 31. घासी, घसिया   | 78. रेल्ली  |
| 32. घोगिया  | 79. सब्बाखिआ  |
| 33. घुसुरिया  | 80. समयासी  |
| 34. गोडामाली  | 81. सनेई  |
| 35. गोडारी  | 82. सपरी  |
| 36. गोडरा   | 83. सौतिया, सांतिया                                     |
| 37. गोखा  | 84. सिधरिआ  |
| 38. गोराईत, कोराईत  | 85. सिदूरिया  |
| 39. हाखडी, हाडी, हरी  | <sup>1</sup> [86. सियाल, खजुरिया]                       |
| 40. इरोका   | 87. टमाडिया   |
| 41. जगली  | 88. टमुडिया   |
| <sup>2</sup> [42. कंडरा, कंडारा, कडम, कुडुसा, कोडमा, कोडामा]                      | 89. तानला   |
| 43. कारुआ   | <sup>3</sup> 90. * * *                                  |
| 44. कटिआ  | 91. दूरी  |
| <sup>1</sup> [45. केला, सपुआ केला, नलुआ केला, सब्बाखिया केला, पटिश केला]          | 92. उजीआ  |
| 46. खदाल  | 93. बाल्मीकि, बल्मीकि                                   |
| 47. कोडालो, खोडालार   | <sup>1</sup> [94. भंगली (कोरापुट और कालाडंडी जिलों में) |
|   | 95. भीरगंज (नवरंगपुर जिले में) ]                        |

<sup>2</sup>2002 के अधिनियम सं० 81 की धारा 2 और अनुसूची 3 द्वारा प्रतिष्ठित 24 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

<sup>3</sup>2007 के अधिनियम सं० 31 की धारा 2 द्वारा (29-8-2007 से) प्रतिस्थापित ।

<sup>1</sup>2002 के अधिनियम सं० 25 की धारा 2 द्वारा लोप किया गया ।

<sup>2</sup>2002 के अधिनियम सं० 25 की धारा 2 द्वारा अंतःस्थापित ।



भाग 14--पंजाब

- |  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| 1. आदि धर्मी   | 19. कबीरपंथी, जुलाहा                 |
| 2. बाल्मीकि, चूड़ा, भंगी   | 20. खटीक                             |
| 3. बंगाली  | 21. कोरी, कोली                       |
| 4. बरड़, बुरड़, बेरड़  | 22. मरीजा, मरेचा                     |
| <sup>1</sup> [5. इटवाल, बरवाला   | <sup>1</sup> [23. मजहबी, मजहबी सिख ] |
| 6. बौरिया, बावरिया   | 24. मेघ                              |
| 7. बाजीगर  | 25. नट                               |
| 8. भंजड़ा  | 26. ओड                               |
| <sup>2</sup> [9. चमार, जटिया, चमार, रेहगड़, रैगढ़, रामदासी, रविदासी,<br>रामदासिया सिख, रविदसिया, रविदसिया सिख] | 27. पासी                             |
| 10. चनाल   | 28. पेरना                            |
| 11. डागी   | 29. फेररा                            |
| 12. दड़े   | 30. सनहाई                            |
| 13. डेहा, डैया, ढआ   | 31. सनहाल                            |
| 14. धानक   | 32. सांसी, भेड़कुट, मनेश             |
| 15. डोगरी, डांगरी, सिग्गी  | 33. संसोई                            |
| 16. डूमना, महाशा, डूम  | 34. सपेला                            |
| 17. गगड़ा  | 35. सरैड़ा                           |
| 18. गंठीला, गण्डील, गोण्डोला   | 36. सिकलीगर                          |
|  | 37. सिरकीबन्द                        |
|  | <sup>3</sup> [38. मोची]              |
|  | <sup>4</sup> [39. महातम, राय सिख ]   |

भाग 15--राजस्थान

- |   |                                |
|---|--------------------------------|
| 1. आदि धर्मी  | 18. चांडाल                     |
| 2. अहेरी  | 19. दबगर                       |
| 3. बादी   | 20. धानक, धानुक                |
| 4. बागरी, बागडी   | 21. धानकिया                    |
| 5. बैरवा, बेरवा   | 22. धोबी                       |
| 6. बाजगर  | 23. डोली                       |
| 7. बलाई   | 24. डोम, डूम                   |
| 8. बांसफोर, बांसफोड़  | 25. गांडिया                    |
| 9. बावरी  | 26. गरांचा, गांचा              |
| 10. बर्गी, वर्गी, बिर्गी  | 27. गरो, गरुड़, गुर्डा, गरोड़ा |
| 11. बावरिया   | 28. गवरियां                    |
| 12. बेड़िया, बेरिया   | 29. गोधी                       |
| 13. भांड  | 30. जीनगर                      |
| 14. भंगी, चूड़ा, मेहतर, औलगाना, रूखी, मलकाना, हलालखोर,<br>लालबेगी, बाल्मीकि, वाल्मीकि कोरार, झाडमाली  | 31. कालबेलिया, सपेरा           |
| 15. विदाकिया  | 32. कामड़, कामड़िया            |
| 16. बोला  | 33. कंजर, कुंजर                |
| 17. चमार, भंभी, बंभी, भंवी, जटिया, जाटव, जाटवा, मोची,<br>रेदास, रोहिदास, रेगड़, रैगड़, रामदासिया, असोदी,<br>चमाडिया, चम्भार, चामगार, हरलया, हसाली, खलपा, मन्गिगार,<br>मोचीगार, मादर, मादिग, तेलगु मोची, कामटी, मोची, शणीगार,<br>रोहित, सामगार | 34. कपाडिया, सांसी             |
|   | 35. खंगार                      |
|   | 36. खटीक                       |
|   | 37. कोली, कोरी                 |
|   | 38. कुच बन्द, कुचबन्द          |

<sup>1</sup> 2002 के अधिनियम सं. 1961 की धारा 2 और अनुसूची 1 द्वारा प्रविष्टि 5 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

<sup>2</sup> 2002 के अधिनियम सं. 25 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।

<sup>3</sup> 2002 के अधिनियम सं. 25 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।

<sup>4</sup> 2007 के अधिनियम सं. 31 की धारा 2 द्वारा (20-8-2007 से) अंतःस्थापित ।

- |   |                     |
|---|---------------------|
| 39. कोरिया                                  | 49. शासी            |
| 40. मदारी, बाजीगर                           | 50. रावल            |
| 41. महार, तराल, धेगुधेगु                    | 51. सालवी           |
| 42. माहयावंशी, डेड़, डेड़ा, वणकर, मारु वणकर | 52. सांसी           |
| 43. मजहबी                                   | 53. सांतिया, सतिया  |
| 44. मांग, मातंग, मिनिमादिय                  | 54. सरसंगी          |
| 45. मांग गासेडी, मांग गारुडी                | 55. सरगड़ा          |
| 46. मेघ, मेघवाल, मेघवल, मेघवार              | 56. सिमीवाला        |
| 47. मेहर                                    | 57. थोरी, नायक      |
| 48. नट, नुट                                 | 58. तीरगार, तीरबन्द |
|   | 59. तुरी ।          |

भाग 16--तामिलनाडु

- |   |  |
|---|--|
| 1. आदि आंध्र  | 30. करिमालेन   |
| 2. आदि द्रविड   | 31. कवस (कन्याकुमारी जिले में और तिरुनेलवेली जिले के शेन्कोट्टा तालुक में)         |
| 3. आदि कर्नाटक  | 32. कोन्नियन   |
| 4. आजिता  | 33. कूसा   |
| 5. अरुनदियार  | 34. कूटन, कूडन, (कन्याकुमारी जिले में और तिरुनेलवेली जिले के शेन्कोट्टा तालुक में) |
| 6. अयनवर (कन्याकुमारी जिले में और तिरुनेलवेली जिले के शेन्कोट्टा तालुक में)   | 35. कुडुम्बन   |
| 7. बैरा   | 36. कुरवन, सिद्धनार  |
| 8. बकुड़ा   | 37. मदारी  |
| 9. बण्डी  | 38. मादिय  |
| 10. बेल्लरा   | 39. मैला   |
| 11. भरतर (कन्याकुमारी जिले में और तिरुनेलवेली जिले के शेन्कोट्टा तालुक में)   | 40. माल  |
| 12. चिकिलियन  | 41. मन्नन (कन्याकुमारी जिले में और तिरुनेलवेली जिले के शेन्कोट्टा तालुक में)       |
| 13. चलवादि  | 42. माथिलान  |
| 14. चमार, मुची  | 43. भोगर   |
| 15. चाण्डाल   | 44. मुण्डाला   |
| 16. चेरुमान   | 45. नलकेयव   |
| 17. देवेन्द्रकुलथन  | 46. नय्याडी  |
| 18. डोम, डोम्बारा, पेड़ी, पानो  | 47. पडन्नन (कन्याकुमारी जिले में और तिरुनेलवेली जिले के शेन्कोट्टा तालुक में)      |
| 19. डोम्बन  | 48. पगाडे  |
| 20. गोडागली   | 49. पल्लन  |
| 21. गोड्डा  | 50. पल्लुधन  |
| 22. गोसंगी  | 51. पमवाड़ा  |
| 23. होलेथ   | 52. पानन (कन्याकुमारी जिले में और तिरुनेलवेली जिले के शेन्कोट्टा तालुक में)        |
| 24. जगगली   | 53. पंचम   |
| 25. जम्बुवुलु   | 54. पन्नाड़ी   |
| 26. कड्डयन  | 55. पन्नयाडी   |
| 27. कक्कलन (कन्याकुमारी जिले में और तिरुनेलवेली जिले के शेन्कोट्टा तालुक में) | 56. परयन, परयन, साम्बवर  |
| 28. कल्लादि   |  |
| 29. कनक्कन, पाडन्ना (नीलगिरि जिले में)  |  |

- |  |   |
|--|---|
| 57. परवन (कन्याकुमारी जिले में और तिरुनेलवेली जिले के शेन्कोट्टा तालुक में)  | 67. थोटि  |
| 58. पथियन (कन्याकुमारी जिले में और तिरुनेलवेली जिले के शेन्कोट्टा तालुक में) | 68. तिरुवल्लुवर   |
| 59. पुलयन, चेरमार  | 69. वल्लन   |
| 60. पुशिरैवण्णान   | 70. वल्लुवन   |
| 61. राणीयार  | 71. वननन (कन्याकुमारी जिले में और तिरुनेलवेली जिले के शेन्कोट्टा तालुक में)       |
| 62. सामगार   | 72. वातिरैयान्  |
| 63. सम्बन  | 73. वेलन  |
| 64. सपरी   | 74. वेटन (कन्याकुमारी जिले में और तिरुनेलवेली जिले के शेन्कोट्टा तालुक में)       |
| 65. सेम्मन   | 75. वेट्टियान   |
| 66. तण्डन (कन्याकुमारी जिले में और तिरुनेलवेली जिले के शेन्कोट्टा तालुक में) | 76. वेट्टुवन (कन्याकुमारी जिले में और तिरुनेलवेली जिले के शेन्कोट्टा तालुक में) । |

भाग 17-- त्रिपुरा

- |                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| 1. बागदी          | 18. केवत                    |
| 2. भुईमाली        | 19. खादित                   |
| 3. भुनर           | 20. खारिया                  |
| 4. चमार, मूची     | 21. कोच                     |
| 5. दानदासी        | 22. कोयर                    |
| 6. धेनुअर         | 23. कोल                     |
| 7. धोबा           | 24. कोरा                    |
| 8. डोम            | 25. कोटाल                   |
| 9. घासी           | 26. महिष्यदास               |
| 10. गौर           | 27. माली                    |
| 11. गुर           | 28. मेहतर                   |
| 12. जेलेया कैबर्त | 29. मुसहर                   |
| 13. कहार          | 30. नमोशूद्र                |
| 14. कालिन्दी      | 31. पाटनी                   |
| 15. कान           | 32. सबर                     |
| 16. कण्दा         | 33. धुली, सब्दकार, बाद्यकार |
| 17. कनुह          | 34. नट्टा, नट ]             |

भाग 18--उत्तर प्रदेश

- |   |  |
|---|--|
| 1. अगरिया <sup>2</sup> [सोनभद्र जिले को छोड़कर] | 13. बनमानुष                                      |
| 2. बधिक   | 14. बांसफोड़                                     |
| 3. बादी   | 15. बरवार  |
| 4. बहेलिया                                      | 16. बंसोड़                                       |
| 5. बगा <sup>2</sup> [सोनभद्र जिले को छोड़कर]    | 17. बावरिया                                      |
| 6. बैसवार                                       | 18. बेलदार                                       |
| 7. बजनिया                                       | 19. बेरिया                                       |
| 8. बाजगी  | 20. भनू  |
| 9. बलहार  | 21. भुईया <sup>2</sup> [ सोनभद्र जिले को छोड़कर] |
| 10. बलाई  | 22. भुईयार                                       |
| 11. बाल्मीकि                                    | 23. बोरिया                                       |
| 12. बंगाली                                      | 24. चमार, घुसिया, झुसिया, जाटव                   |



- |   |  |
|---|--|
| 25. चरो <sup>1</sup> [सोनभद्र और वाराणसी जिलों को छोड़कर]   | <sup>2</sup> [46. खरवार (बनबांसी को छोड़कर) (देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी और सोनभद्र जिलों को छोड़कर)] |
| 26. दबगर  | 47. खटीक   |
| 27. धंगड़   | 48. खोरोट  |
| 28. धानुक   | 49. कोल  |
| 29. धरकार   | 50. कोरी   |
| 30. धोबी  | 51. कोरवा  |
| 31. डोम   | 52. लालबेगी  |
| 32. डोमर  | 53. मझवार  |
| 33. दुसाध   | 54. मजहबी  |
| 34. घरामी   | 55. मुसहर  |
| 35. घसिया   | 56. नट   |
| 36. गोंड <sup>1</sup> [महाराज गंज, सिद्धार्थ नगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, मिर्जापुर और सोनभद्र जिलों को छोड़कर] | 57. पंखा <sup>1</sup> [सोनभद्र और मिर्जापुर जिलों को छोड़कर]   |
| 37. ग्वाल   | 58. परहिया <sup>1</sup> [सोनभद्र जिले को छोड़कर]   |
| 38. हबूड़ा  | 59. पासी, तरमाली   |
| 39. हरी   | 60. पटरी <sup>1</sup> [सोनभद्र जिले को छोड़कर]   |
| 40. हेला  | 61. रावत   |
| 41. कलाबाज  | 62. सहारया <sup>1</sup> [ललितपुर जिले को छोड़कर]   |
| 42. कंजर  | 63. सनोरिया  |
| 43. कपड़िया   | 64. सांसिया  |
| 44. करवल  | 65. शिल्पकार   |
| 45. खराहा   | 66. तुरेहा ।   |

भाग 19—पश्चिमी बंगाल

- |  |  |
|--|--|
| 1. बागड़ी, दुले                                    | <sup>3</sup> [22. हरी, मेहतार, मेहतोर, भंगी, बाल्मीकि] |
| 2. बहेलिया   | 23. जालिया, कैवर्त                                     |
| 3. बायती   | 24. झाली मालो, मालो                                    |
| 4. बंतर  | 25. कादर   |
| 5. बौरी  | 26. कामी (नेपाली)                                      |
| 6. बेलदार  | 27. कांदरा   |
| 7. भोगता   | 28. कंजर   |
| 8. भुईमाली   | 29. कावरा  |
| 9. मुइया   | 30. करंगा, कोरंगा                                      |
| 10. बिन्द  | 31. कौर  |
| 11. चमार, चर्मकार, मोची, मुची, रविदास, रूईदास, ऋषि | 32. केवट, केयोट  |
| 12. चोपाल  | 33. खैरा   |
| 13. दबगर   | 34. खटीक   |
| 14. दामाई (नेपाली)                                 | 35. कोच  |
| 15. धोबा, धोबी                                     | 36. कोनाई  |
| 16. दौयाई  | 37. कोनवार   |
| 17. डोम, धंगड़                                     | 38. कोटाल  |
| 18. दोसाध, दुसाध, धारी, धारही                      | 39. कुरारियर   |
| 19. घासी   | 40. लालबेगी  |
| 20. गोनड़ी   | 41. लोहार  |
| 21. हलालखोर  | 42. महार   |
|  | 43. माल  |

<sup>1</sup> 2003 के अधिनियम सं० 10 के धारा 3 और पहली अनुसूची द्वारा अंतःस्थापित ।

<sup>2</sup> 2003 के अधिनियम सं० 10 की धारा 3 और पहली अनुसूची द्वारा प्रविष्टि 46 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

<sup>3</sup> 2002 के अधिनियम सं० 25 की धारा 2 द्वारा प्रविष्टि 22 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

44. मल्लाह
45. मुसहर
46. नामशूद्र
47. नट
48. नूनिया
49. पलिया
50. पान, सवासी
51. पासी

52. पाटनी
53. पोद, पोन्द्रा
54. राजवंशी
55. राजवार
56. शड़की (नेपाली)
57. सुनरी (साहा को छोड़कर)
58. तिथर
59. तूरी

[60. चेन (मात्वा, मुर्शिदाबाद, नादिया और दक्षिण दीनाजपुर जिलों में) ]

<sup>2</sup>[ भाग 20--मिजोरम

1. बांसफोर
2. भूइनमाली या माली
3. वृत्तियाल-बनिया या बनिया
4. धूपी या धोबी
5. डूगला या ढोली
6. हिरा
7. जालकेवट
8. झालो, मालो या झालो-मालो

9. कैवर्त या जालिया
10. लालबेगी
11. महरा
12. मेहतर या भंगी
13. मूची या ऋषी
14. नामशूद्र
15. पतनी
16. सूत्रधार ]

<sup>3</sup>[ भाग 21--अरुणाचल प्रदेश

<sup>4</sup>\* \* \* \*

<sup>5</sup>[ भाग 22--गोवा

1. भंगी (हाडी)
2. चम्भार
3. माहर

4. माइयावंशी (बन्कर)
5. मांग ]

1. 2002 के अधिनियम सं. 25 की धारा 2 द्वारा अंतःस्थापित ।  
2. 1986 के अधिनियम सं. 34 की धारा 13 और पहली अनुसूची द्वारा (20-2-1987 से) अंतःस्थापित ।  
3. 1986 के अधिनियम सं. 69 की धारा 16 और पहली अनुसूची द्वारा (20-2-1987 से) अंतःस्थापित ।  
4. 2002 के अधिनियम सं. 61 की धारा 2 और पहली अनुसूची द्वारा लोप किया गया ।  
5. 1987 के अधिनियम सं. 18 की धारा 19 और पहली अनुसूची द्वारा (30-5-1987 से) अंतःस्थापित ।

<sup>1</sup> भाग 23 - छत्तीसगढ़

1. औधेलिया
2. बागरी, बागडी
3. बेहना, बहाना
4. बलाही, बलाई
5. बाछडा
6. बरहार, बसोड़
7. बरगूडा
8. बसौर, बुरुड़, बंसौर, बंसोडी, बांसफोड़, बसार
9. बेड़िया
10. बेलदार, सुनकर
11. भंगी, मेहतर, बाल्मिकी, लालबेगी, धरकर
12. भानुमती
13. चड़ार
14. चमार, चमारी, बेरवा, भांबी, जाटव, मोची, रेगर, नोना, रोहिदास, रामनामी, सतनामी, सूर्यवंशी, सूर्यराम नामी, अहिरवार, चमार, मांगन, रेदास
15. चिड़ार
16. चिकवा, चिकवी
17. चितार
18. दहैत, दहायत, दाहात
19. देवार
20. धानुक
21. देड़, देर
22. डोहोर
23. डोम, डूमार, डोम, डोमार, डोरिस
24. गांड़ा, गांडी
25. घासी, घसिया
26. होलिया
27. कंजर
28. कतिया, पथरिया
29. खटीक
30. कोली, कोरी
31. खांगर, कनेरा, मिर्धा
32. कुचबंधिया
33. महार, मेहरा, मेहर
34. मांग, मांग गरीडी, मांग गारूडी, दखनी मांग, मांग महाशी, मदारी, गारूडी, राधे मांग
35. मेघवाल
36. मोंधिया
37. मुसखान
38. नद, कालबेलिया, सपेरा, नवदिगार, कुबुतार
39. पासी
40. रूज्जार
41. सांसी, सांसिया
42. सिलावट
43. झमराल ]
- <sup>2</sup>[44. तुरी।]

<sup>3</sup>[भाग 24 - उत्तरांचल

1. अगरिया
2. बधिक
3. बादी
4. बहेलिया
5. बैगा
6. बैसवार
7. बजनिया
8. बाजगी
9. बलहर
10. बलाई
11. बाल्मिकि
12. बंगाली
13. बनभानुष
14. बांसफोड़
15. बरवार
16. बसौर
17. बावरिया
18. बेलदार
19. बेरिया
20. भंतू
21. भूईया
22. भुइयार
23. बोरिया
24. चमार, घुसिया, झुसिया, जाटव
25. चेरो
26. दबगर
27. घंगड़
28. धानुक
29. धरकार
30. धोबी
31. डोम
32. डोमर
33. दुसाध
34. धरमी
35. धारिया
36. गोंड
37. ग्वाल
38. हबूड़ा
39. हरी
40. हेला
41. कलाबाज
42. कंजड
43. कपड़िया
44. करवल
45. खरेता
46. खरवार (बनबासी को छोड़कर)

<sup>1</sup> 2000 के अधिनियम सं. 28 की धारा 19 और तीसरी अनुसूची द्वारा (1-11-2000 से) अंतःस्थापित ।

<sup>2</sup> 2007 के अधिनियम सं. 31 की धारा 2 द्वारा (29-8-2007 से) अंतःस्थापित ।

<sup>3</sup> 2000 के अधिनियम सं. 29 की धारा 24 और पांचवीं अनुसूची द्वारा (9-11-2000 से) अंतःस्थापित ।



47. खटीक
48. खरोट
49. कोल
50. कोरी
51. कोरवा
52. लालबेगी
53. मझवार
54. मजहबी
55. मुसहर
56. नट
57. पंखा
58. पंरहिया
59. पासी, तरमाली
60. पतरी
61. सहरिया
62. सनोरिया
63. सांसिया
64. शिल्पकार
65. तुरैहा ।]

# संविधान (अनुसूचित जातियाँ) <sup>2</sup> [(संघ राज्यक्षेत्र)] आदेश, 1951

(सं० आ० 32)

संविधान (प्रथम संशोधन) अधिनियम, 1951 द्वारा यथासंशोधित भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति ने अपने प्रसाद से निम्नलिखित आदेश किया है, अर्थात् :-

1. यह आदेश संविधान (अनुसूचित जातियाँ) <sup>2</sup> [(संघ राज्यक्षेत्र)] आदेश, 1951 कहा जा सकेगा ।

2. इस आदेश के उपबंधों के अधधीन यह है कि वे जातियाँ, मूलवंश या जनजातियाँ या जातियाँ या जनजातियों के भाग या उनमें के यूथ जो इस आदेश की अनुसूची के <sup>3</sup> [भाग 1 से 3 तक] में विनिर्दिष्ट हैं उन <sup>2</sup> [संघ राज्यक्षेत्रों] के सम्बन्ध में, जिनसे वे भाग क्रमशः सम्बद्ध हैं, वहाँ तक, जहाँ तक कि उनके उन सदस्यों का सम्बन्ध है, जो उन परिक्षेत्रों में निवासी हैं, जो उस अनुसूची में उन भागों में क्रमशः उनके संबंध में विनिर्दिष्ट हैं अनुसूचित जातियाँ समझे जाएंगे ।

<sup>4</sup> [3. पैरा 2 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति जो हिन्दू <sup>5</sup> [सिक्ख या बौद्ध] धर्म से भिन्न धर्म मानता है अनुसूचित जाति का सदस्य न समझा जाएगा ]]

<sup>6</sup> [4. इस आदेश में अनुसूची के भाग 1 में किसी संघ राज्यक्षेत्र के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह 1 नवम्बर, 1956 से संघ राज्यक्षेत्र के रूप में गठित किसी राज्यक्षेत्र के प्रति निर्देश है, अनुसूची के भाग 2 में किसी संघ राज्यक्षेत्र के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह 1 नवम्बर, 1966 से संघ राज्यक्षेत्र के रूप में गठित किसी राज्यक्षेत्र के प्रति निर्देश है तथा अनुसूची के भाग 3 में किसी संघ राज्यक्षेत्र के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह गोवा, दमण और दीव पुनर्गठन अधिनियम, 1987 की धारा 2 के खंड (ख) के अधीन नियत दिन से संघ राज्यक्षेत्र के रूप में गठित किसी राज्यक्षेत्र के प्रति निर्देश है।]

## <sup>2</sup> [अनुसूची

भाग 1 -- दिल्ली

सारे संघ राज्यक्षेत्र में—

- |   |                                    |
|---|------------------------------------|
| 1. आदि धर्मी  | 18. कबीर ष्थी                      |
| 2. अगरिया   | 19. कछन्धा                         |
| 3. अहेरिया  | 20. कंजर या गियारा                 |
| 4. बलाई   | 21. खटीक                           |
| 5. बंजारा   | 22. कोली                           |
| 6. बावरिया  | 23. लालबेगी                        |
| 7. बाजीगर   | 24. मदारी                          |
| 8. भंगी   | 25. मल्लाह                         |
| 9. भील  | 26. मजहबी                          |
| 10. चमार चंवर, चमार, जटिया या जाटव चमार, मोची, रविदासी, रैदासी, रेहगड़ या रैगड़ | 27. मेघवाल                         |
| 11. चोहड़ा (सफाई करने वाले)   | 28. नडीवट                          |
| 12. चूहड़ा (बाल्मीकि)   | <sup>7</sup> [29. नट (राणा), बाडी] |
| 13. धानक या धानुक   | 30. पांसी                          |
| 14. धोबी  | 31. पेरना                          |
| 15. डोम   | 32. सांसी या भेड़कुट               |
| 16. धर्मा   | 33. सपेरा                          |
| 17. जुलाहा (बुनने वाले)   | 34. सिकलीगर                        |
|   | 35. सिंगीवाला या कालबेलिया         |
|   | 36. सिरकीबन्दा]                    |

<sup>1</sup> विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं० का०नि०आ० 1427क. तारीख 20 सितम्बर, 1951, भारत का राजपत्र, असाधारण, 1951, भाग 2, खंड 3, पृ० 1198 में प्रकाशित ।

2 अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजातियाँ सूचियाँ (उपान्तरण) आदेश, 1956 द्वारा प्रतिस्थापित ।

3 1987 के अधिनियम सं० 18 की धारा 19 और पहली अनुसूची द्वारा (30-5-1987 से) "भाग 1 से 4 तक" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

4 1956 के अधिनियम सं० 63 की धारा 3 और दूसरी अनुसूची द्वारा प्रतिस्थापित ।

5 1990 के अधिनियम सं० 15 की धारा 3 द्वारा "या सिख" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

6 1987 के अधिनियम सं० 18 की धारा 19 और पहली अनुसूची द्वारा (30-5-1987 से) पैरा 4 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

<sup>7</sup> 2002 के अधिनियम सं० 61 की धारा 2 और अनुसूची 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।

8\* \* \* \*  
9\* \* \* \*

### <sup>10</sup>[<sup>11</sup> भाग 2]--चण्डीगढ़

- |   |                            |
|---|----------------------------|
| 1. आद धर्मी   | 19. खटीक                   |
| 2. बंगाली   | 20. कोरी या कोली           |
| 3. बरड़, बुरड़ या बरड़                                | 21. मरीजा या मरेचा         |
| <sup>12</sup> [4. बटवाल, बरवाला]                      | 22. मजहबी                  |
| 5. बौरिया या बावरिया                                  | 23. मेघ                    |
| 6. बाजीगर   | 24. नट                     |
| 7. बाल्मीकि, चूहड़ा या भंगी                           | 25. ओड                     |
| 8. भंजड़ा   | 26. पासी                   |
| 9. चमार, जटिया चमार, रेहगड़, रैगड़, रामदास या रविदासी | 27. पेरना                  |
| 10. चनाल  | 28. फरेरा                  |
| 11. डागी  | 29. सनहाई                  |
| 12. दड़े  | 30. सनहाल                  |
| 13. धानक  | 31. संसोई                  |
| 14. ढोगरी, ढांगरी या सिग्गी                           | 32. सांसी, भेड़कूट या मनेश |
| 15. डूमना, महाशा या डूम                               | 33. सपेला                  |
| 16. गगड़ा   | 34. सररा                   |
| 17. गन्दीला या गन्दील गोन्डोला                        | 35. सिकलीगर                |
| 18. कबीरपंथी या जुलाहा                                | 36. सिरकीबंद ]             |

### <sup>13</sup>[भाग 3--दमण और दीव

समस्त संघ राज्यक्षेत्र में :—

- |                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| 1. भंगी (हाडी)                | 4. महायावंशी (बन्कर) |
| <sup>5</sup> [2. चंभार, मोची] | 5. मांग ]            |
| 3. माहर                       |                      |

<sup>14</sup> \* \* \* \*

<sup>10</sup> 1970 के अधिनियम सं० 53 की धारा 19 और द्वितीय अनुसूची द्वारा (25-1-1971 से) हिमाचल प्रदेश की बाबत भाग 2 का लोप किया गया ।  
<sup>11</sup> 1971 के अधिनियम सं० 81 की धारा 25(2) और तृतीय अनुसूची द्वारा (21-1-1972 से) मणिपुर और त्रिपुरा की बाबत क्रमशः भाग 3 और भाग 4 का लोप किया गया ।  
<sup>12</sup> 1966 के अधिनियम सं० 31 की धारा 27 और नवम् अनुसूची द्वारा (1-11-1966 से) जोड़ा गया ।  
<sup>13</sup> 1971 के अधिनियम सं० 81 की धारा 25(2) और तृतीय अनुसूची द्वारा (21-1-1972 से) भाग 5 को भाग 2 के रूप में पुनःसंख्यांकित ।  
<sup>14</sup> 2002 के अधिनियम सं० 61 की धारा 2 और अनुसूची 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।  
<sup>15</sup> 1986 के अधिनियम सं० 34 की धारा 13 और दूसरी अनुसूची द्वारा (20-2-1987 से) मिजोरम संबंधी मूल भाग 3 का लोप किया गया और भाग 4 को भाग 3 के रूप में पुनःसंख्यांकित किया गया । 1986 के अधिनियम सं० 69 की धारा 16 और दूसरी अनुसूची द्वारा (20-2-1987 से) अरुणाचल प्रदेश संबंधी मूल भाग 3 का लोप किया गया और 1987 के अधिनियम सं० 18 की धारा 19 और पहली अनुसूची द्वारा (30-5-1987 से) दमण और दीव संबंधी भाग 3 अंतःस्थापित ।  
<sup>16</sup> 1986 के अधिनियम सं० 34 की धारा 13 और दूसरी अनुसूची द्वारा (20-2-1987 से) लोप किया गया ।



## संविधान (जम्मू-कश्मीर) अनुसूचित जातियां आदेश, 1956

(सं० आ० 52)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति ने जम्मू-कश्मीर के सदर-रियासत से परामर्श करने के पश्चात् अपने प्रसाद से निम्नलिखित आदेश किया है, अर्थात् :-

1. यह आदेश संविधान (जम्मू-कश्मीर) अनुसूचित जातियां आदेश, 1956 कहा जा सकेगा ।
2. इस आदेश की अनुसूची में विनिर्दिष्ट जातियां, संविधान के प्रयोजनों के लिए जम्मू-कश्मीर राज्य के संबंध में अनुसूचित जातियां समझी जाएंगी :

परंतु कोई भी व्यक्ति जो हिंदू<sup>2</sup> [सिक्ख या बौद्ध] धर्म से भिन्न धर्म मानता है, अनुसूचित जाति का सदस्य न समझा जाएगा ।

### अनुसूची

- |  |                     |
|--|---------------------|
| 1. वरवाला  | 8. गर्दी            |
| 2. वसीठ  | 9. जोलाहा           |
| 3. बटवाल   | 10. मेष या कबीरपंथी |
| <sup>3</sup> [4. चमार या रामदासिया, चमार-रविदास, चमार-रोहिदास] | 11. रताल            |
| <sup>3</sup> [5. चूड़ा, भंगी, बाल्मीकि, मेहतर]                 | 12. सरयारा          |
| 6. ध्यार   | 13. वाताल ।         |
| <sup>3</sup> [7. डोम या महाशा, डुमना]                          |                     |

<sup>1</sup> विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं० का०नि०आ० 3135क, तारीख 22 दिसम्बर, 1956, भारत के राजपत्र, असाधारण, 1956, भाग 2, खण्ड 3, पृ० 2686क में प्रकाशित ।

<sup>2</sup> 1990 के अधिनियम सं० 15 की धारा 6 द्वारा (3-6-1990 से) "या सिक्ख" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

<sup>3</sup> 2002 के अधिनियम सं० 63 की धारा 2 और तीसरी अनुसूची द्वारा प्रतिस्थापित ।

## संविधान (दादरा और नागर हवेली) अनुसूचित जातियां आदेश, 1962

(सं० आ० 64)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति ने अपने प्रसाद से निम्नलिखित आदेश किया है, अर्थात् :-

1. यह आदेश संविधान (दादरा और नागर हवेली) अनुसूचित जातियां आदेश, 1962 कहा जा सकेगा ।
2. वे जातियां, मूलवंश या जनजातियां या जातियों, मूलवंशों या जनजातियों के भाग या उनमें के गुप जो इस आदेश की अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं, संविधान के प्रयोजनों के लिए, दादरा और नागर हवेली के संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में वहां तक जहां तक कि उनके उन सदस्यों का संबंध है जो उस संघ राज्यक्षेत्र में निवासी हैं, जातियां समझे जाएंगे: परंतु कोई भी व्यक्ति जो हिंदू<sup>2</sup>, सिक्ख या बौद्ध धर्म से भिन्न धर्म मानता है, अनुसूचित जाति का सदस्य न समझा जाएगा ।

### अनुसूची

1. भंगी
2. चमार

3. माहर

<sup>3</sup>[4. माहयावंशी ]]

<sup>1</sup> विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं० सा० नो० 300, तारीख 30 जून, 1962, भारत के राजपत्र, असाधारण, 1962, भाग 2, खंड 3, पृ० 389 पर प्रकाशित ।

<sup>2</sup> 1990 के अधिनियम सं० 15 की धारा 5 द्वारा (3-6-1990 से) "या सिक्ख" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

<sup>3</sup> 2002 के अधिनियम सं० 61 की धारा 2 और अनुसूची 4 द्वारा प्रतिस्थापित ।

# संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जातियां आदेश, 1964

(सं० आ० 68)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति ने अपने प्रसाद से निम्नलिखित आदेश किया है, अर्थात् :-

1. यह आदेश संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जातियां आदेश, 1964 कहा जा सकेगा ।

2. वे जातियां, मूलवंश या जनजातियां या जातियों, मूलवंशों या जनजातियों के भाग या उनमें के ग्रुप जो इस आदेश की अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं, संविधान के प्रयोजनों के लिए पांडिचेरी के संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में, वहां तक जहां तक कि उनके उन सदस्यों का संबंध है, जो उस संघ राज्यक्षेत्र में निवासी हैं, अनुसूचित जातियां समझे जाएंगे :

परंतु कोई भी व्यक्ति जो हिंदू<sup>2</sup>, सिक्ख या बौद्ध धर्म से भिन्न धर्म मानता है, अनुसूचित जाति का सदस्य न समझा जाएगा ।

## अनुसूची

- |                    |                                     |
|--------------------|-------------------------------------|
| 1. आदि आंध्र       | 9. पल्लन्                           |
| 2. आदि द्रविड      | 10. परयान, सांबवर                   |
| 3. चक्किलियन       | 11. सम्बन                           |
| 4. जांबुवुलु       | 12. थोटी                            |
| 5. कुरावन          | 13. वल्लुवन                         |
| 6. माडिगा          | 14. वेडन्                           |
| 7. माला, मालामस्ति | 15. वेट्टिटयन ।                     |
| 8. पाकी            | <sup>3</sup> [ 16. पुथीरई वन्नन । ] |

<sup>1</sup> विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं०सा०का० नि० 419, तारीख 5 मार्च, 1964, भारत के राजपत्र, असाधारण, 1964, भाग 2, खंड 3(i). पृ० 327 पर प्रकाशित ।

<sup>2</sup> 1990 के अधिनियम सं० 15 की धारा 7 द्वारा (3-6-1990 से) "या सिख" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

<sup>3</sup> 2002 के अधिनियम सं० 61 की धारा 2 और अनुसूची 5 द्वारा प्रतिस्थापित ।



# संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जातियां आदेश, 1978

(सं० आ० 110)

राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सिक्किम राज्य के राज्यपाल से परामर्श करने के पश्चात् निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात् :-

1. इस आदेश का नाम संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश, 1978 है।

2. इस आदेश की अनुसूची में विनिर्दिष्ट जातियां, वंश या जनजातियां या जातियों, वंशों या जनजातियों के भाग या समूहों को, संविधान के प्रयोजनों के लिए, सिक्किम राज्य के संबंध में, जहां तक उस राज्य में निवासी उसके सदस्यों का संबंध है, अनुसूचित जाति समझा जाएगा :

परन्तु कोई भी व्यक्ति जो हिन्दू<sup>2</sup>, सिक्ख या बौद्ध धर्म से भिन्न धर्म मानता है, अनुसूचित जाति का सदस्य न समझा जाएगा।

## अनुसूची

1. दमाई (नेपाली)

2. कामी (नेपाली), लोहार (नेपाली)

3. माझी (नेपाली)

4. सरकी (नेपाली) ।

<sup>1</sup> विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय की अधिसूचना सं० सा०का०नि० 334(अ), तारीख 22 जून, 1978, भारत के राजपत्र, असाधारण, 1978, भाग 2, खंड 3(i), पृ० 546 में प्रकाशित।

<sup>2</sup> 1990 के अधिनियम सं० 15 की धारा 7 द्वारा (3-6-1990 से) "या सिक्ख" के स्थान पर प्रतिस्थापित।





Amendment of the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950.

2. In paragraph 3 of the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950, for the words "or the Sikh", the words ", the Sikh or the Buddhist" shall be substituted.

Amendment of the Constitution (Scheduled Castes) (Union Territories) Order, 1951.

3. In paragraph 3 of the Constitution (Scheduled Castes) (Union Territories) Order, 1951, for the words "or the Sikh", the words ", the Sikh or the Buddhist" shall be substituted.

Amendment of the Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Castes Order, 1956.

4. In the proviso to paragraph 2 of the Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Castes Order, 1956, for the words "or the Sikh", the words ", the Sikh or the Buddhist" shall be substituted.

Amendment of the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Castes Order, 1962.

5. In the proviso to paragraph 2 of the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Castes Order, 1962, for the words "or the Sikh", the words ", the Sikh or the Buddhist" shall be substituted.

Amendment of the Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes Order, 1964.

6. In the proviso to paragraph 2 of the Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes Order, 1964, for the words "or the Sikh", the words ", the Sikh or the Buddhist" shall be substituted.

Authenticated  
BDR

Ministry of Social Justice & Empowerment  
Ministry of Social Justice & Empowerment  
सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण विभाग  
Ministry of Social Justice & Empowerment  
New Delhi





THE CONSTITUTION (SCHEDULED CASTES) ORDER, 1950<sup>1</sup>  
C.O. 19

In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 341 of the Constitution of India, the President, after consultation with the Governors and Rajpramukhs of the States concerned, is pleased to make the following Order, namely:—

1. This Order may be called the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950.
2. Subject to the provisions of this Order, the castes, races or tribes or parts of, or groups within, castes or tribes specified in <sup>2</sup>[Parts to <sup>3</sup>[XXIV]] of the Schedule to this Order shall, in relation to the States to which those Parts respectively relate, be deemed to be Scheduled Castes so far as regards member thereof resident in the localities specified in relation to them in those Parts of that Schedule.
- <sup>4</sup>[3. Notwithstanding anything contained in paragraph 2, no person who professes a religion different from the Hindu <sup>5</sup>[, the Sikh or the Buddhist] religion shall be deemed to be a member of a Scheduled Caste.]
- <sup>6</sup>[4. Any reference in this Order to a State or to a district or other territorial division thereof shall be construed as a reference to the State, district or other territorial division as constituted on the 1st day of May, 1976.]

1. Published with the Ministry of Law Notification No. S.R.O. 385, dated the 10th August, 1950. Gazette of India, Extraordinary, 1950, Part II, Section 3, page 163

2. Subs. by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Lists (Modification) Order, 1956

3. The figure "XXI" has been successfully subs. by Act 18 of 1987, s. 19 and 1<sup>st</sup> Sch. (w.e.f. 30-5-87), by Act 28 of 2000, s. 19 and 3<sup>rd</sup> Sch (w.e.f. 1-11-2000) and by Act 29 of 2000, s. 24 and 5<sup>th</sup> Sch (w.e.f. 9-11-2000) to read as above.

4. Subs. by Act 63 of 1956, s. 3 and First Sch., for paragraph 3

5. Subs. by Act 15 of 1990, s. 2, for "or the Sikh"

6. Subs. by Act 198 of 1976, s. 3 and the First Sch., for paragraph 4. (w.e.f. 27-7-1977).

Authenticated  
*[Signature]*  
 M/o. Social Justice & Empowerment  
 भारत सरकार, नई दिल्ली  
 Ministry of Social Justice & Empowerment  
 New Delhi

47. Mehar  
48. Nat, Nut  
49. Pasi  
50. Rawal  
51. Salvi  
52. Sansi  
53. Santia, Satia  
54. Sarbhangi  
55. Sargara  
56. Singiwala  
57. Thori, Nayak  
58. Tirgar, Tirbanda  
59. Turi.

Authenticated 9

*BSK*

சமூக நீதி அமைச்சர், கர்நாடக அரசு  
 சமூக நீதி அமைச்சர், கர்நாடக அரசு  
 Mr. Social Justice & Empowerment  
 சமூக நீதி அமைச்சர், கர்நாடக அரசு  
 Mr. Social Justice & Empowerment  
 சமூக நீதி அமைச்சர், கர்நாடக அரசு

33. Koosa  
34. Kootan, Koodan (in Kanyakumari district and Shenkottan taluk of Tirunelveli district)  
35. Kudumban  
36. Kuravan, Sidhanar  
37. Madari  
38. Madiga  
39. Maila  
40. Mala  
41. Mannan (in Kanyakumari district and Shenkottah taluk of Tirunelveli district)  
42. Mavilan  
43. Moger  
44. Mundala  
45. Nalakeyava  
46. Nayadi  
47. Padannan (in Kanyakumari district and Shenkottah taluk of Tirunelveli district)  
48. Pagadai  
49. Pallan  
50. Palluvan  
51. Pambada  
52. Panan (in Kanyakumari district and Shenkottah taluk of Tirunelveli district)  
53. Panchama  
54. Pannadi  
55. Panniandi  
56. Paraiyan, Parayan, Sambavar  
57. Paravan (in Kanyakumari district and Shenkottah taluk of Tirunelveli district)  
58. Pathiyan (in Kanyakumari district and Shenkottah taluk of Tirunelveli district)  
59. Pulayan, Cheramar  
60. Puthiraj Vannan  
61. Raneyar  
62. Samagara  
63. Samban  
64. Sapari  
65. Semman  
66. Thandan (in Kanyakumari district and Shenkottah taluk of Tirunelveli district)  
67. Thoti  
68. Tiruvalluvar  
69. Vallon  
70. Valluvan  
71. Vannan (in Kanyakumari district and Shenkottah taluk of Tirunelveli district)  
72. Vathiriyar  
73. Velan  
74. Vetan (in Kanyakumari district and Shenkottah taluk of Tirunelveli district)  
75. Vettiyan  
76. Vettuvan (in Kanyakumari district and Shenkottah taluk of Tirunelveli district)

Part XVI—Tamil Nadu

- Jati  
Rega  
nadi  
Iaral  
Madig  
Rohi  
1. Adi Andhra  
2. Adi Dravida  
3. Adi Karnataka  
4. Ajila  
5. Arunthathiyar  
6. Ayyanavar (in Kanyakumari district and Shenkottah taluk of Tirunelveli district)  
7. Baira  
8. Bakuda  
9. Bandi  
10. Bellara  
11. Bharatar (in Kanyakumari district and Shenkottah taluk of Tirunelveli district)  
12. Chakkiliyan  
13. Chalavadi  
14. Chamar, Muchi  
15. Chandala  
16. Cheruman  
17. Devendrakulathan  
18. Dom, Dombara, Paidi, Pane  
19. Domban  
20. Godagali  
21. Godda  
22. Gosangi  
23. Holey  
24. Jaggali  
25. Jambuvulu  
26. Kadaiyan  
27. Kakkalan (in Kanyakumari district and Shenkottah taluk of Tirunelveli district)  
28. Kalladi  
29. Kanakkan, Padanna (in the Nilgiris district)  
30. Karimpalan  
31. Kavara (in Kanyakumari district and Shenkottah taluk of Tirunelveli district)  
32. Koliyan

Authenticated

*BSK*

47. Padannan (in Kanyakumari district and Shenkottah taluk of Tirunelveli district)  
48. Pagadai  
49. Pallan  
50. Palluvan  
51. Pambada  
52. Panan (in Kanyakumari district and Shenkottah taluk of Tirunelveli district)  
53. Panchama  
54. Pannadi  
55. Panniandi  
56. Paraiyan, Parayan, Sambavar  
57. Paravan (in Kanyakumari district and Shenkottah taluk of Tirunelveli district)  
58. Pathiyan (in Kanyakumari district and Shenkottah taluk of Tirunelveli district)  
59. Pulayan, Cheramar  
60. Puthiraj Vannan  
61. Raneyar  
62. Samagara  
63. Samban  
64. Sapari  
65. Semman  
66. Thandan (in Kanyakumari district and Shenkottah taluk of Tirunelveli district)  
67. Thoti  
68. Tiruvalluvar  
69. Vallon  
70. Valluvan  
71. Vannan (in Kanyakumari district and Shenkottah taluk of Tirunelveli district)  
72. Vathiriyar  
73. Velan  
74. Vetan (in Kanyakumari district and Shenkottah taluk of Tirunelveli district)  
75. Vettiyan  
76. Vettuvan (in Kanyakumari district and Shenkottah taluk of Tirunelveli district)